R.T.I. ....अनुभाग Circulate

आवश्यक कार्यवाही करें।

आयुक्त राज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

546
22/04/2021

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या– —— /2021/05(160)/XXVII(8)/2013
देहरादूनः दिनांकः 20 अप्रैल, 2021

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं0–22) की धारा 5 व 19 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में वर्तमान में लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों की व्यवस्था में शासनादेश संख्या–437/2020/05(100)/XXVII(8)/2002, दिनांक 10.07.2020 तथा शासनादेश संख्या–488/2020/05(100)/XXVII(8)/2002, दिनांक 06.08.2020 के द्वारा राज्य कर विभागान्तर्गत सहायक आयुक्त के पद से अपर आयुक्त राज्य कर के तथा राज्य कर अधिकारी एवं निरीक्षक संवर्ग के पदधारकों के कार्यात्मक (Functionality) ढांचे में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप निम्नांकित लोक प्राधिकारी इकाई के सम्मुख अंकित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों को अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र. सं.	इकाई का नाम	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	विभागीय अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5
1	राज्य कर मुख्यालय, देहरादून	उपायुक्त (स्थापना) राज्य कर, मुख्यालय	सहायक आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय	अपर आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, मुख्यालय
2	जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर	सम्बन्धित उपायुक्त (क0नि0)–1, राज्य कर	सम्बन्धित उपायुक्त से सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी	सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर
3	अपर आयुक्त (ऑडिट विंग), राज्य कर	सम्बन्धित उपायुक्त (ऑडिट विंग) राज्य कर	सम्बन्धित सहायक आयुक्त (ऑडिट विंग)	अपर आयुक्त (ऑडिट विंग)
4	संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर	सम्बन्धित उपायुक्त (क0नि0)–1, राज्य कर	सम्बन्धित उपायुक्त के प्रशासनिक अधिकारी	सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर
5	संयुक्त आयुक्त (अपील), राज्य कर	सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (अपील)	सम्बन्धित अपीलीय कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी	सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर
6	संयुक्त आयुक्त (ऑडिट) राज्य कर	सम्बन्धित उपायुक्त (ऑडिट)–1, राज्य कर	सम्बन्धित सहायक आयुक्त (ऑडिट), राज्य कर	सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (ऑडिट)
7	संयुक्त आयुक्त (वि0 अनु0शा0/प्रवर्तन), राज्य कर	सम्बन्धित उपायुक्त (वि0 अनु0शा0/प्र0), राज्य कर	सम्बन्धित सहायक आयुक्त (वि0अनु0शा0/प्र0),राज्य कर	सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0/प्र0)
8	संयुक्त आयुक्त (रिस्क मैनेजमेन्ट/डाटा एनालिसिस),राज्य कर	सम्बन्धित समस्त उपायुक्त(रिस्क मैनेजमेन्ट/डाटा एनालिसिस)	सम्बन्धित सहायक आयुक्त (रिस्क मैनेजमेन्ट/डाटा एनालिसिस)	संयुक्त आयुक्त (रिस्क मैनेजमेन्ट/डाटा एनालिसिस)
9	उपायुक्त (राज्य प्रतिनिधि–जी0एस0टी0 ट्रिब्यूनल), देहरादून।	उपायुक्त (राज्य प्रतिनिधि–जी0एस0टी0 ट्रिब्यूनल)	सहायक आयुक्त (राज्य प्रतिनिधि–जी0एस0टी0 ट्रिब्यूनल)	अपर आयुक्त, राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।
10	समस्त उपायुक्त (कर–निर्धारण)	सम्बन्धित उपायुक्त (कर–निर्धारण)	सम्बन्धित उपायुक्त के प्रशासनिक अधिकारी	सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर

Scanned by CamScanner

11	उपायुक्त (उच्च न्यायालय कार्य)	सहायक उपायुक्त (उच्च न्यायालय कार्य)	राज्य कर अधिकारी (उच्च न्यायालय कार्य)	उपायुक्त (उच्च न्यायालय कार्य)
12	उपायुक्त (आन्तरिक परीक्षण)	सम्बन्धित उपायुक्त (आन्तरिक परीक्षण)	सम्बन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर	सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर
13	समस्त सहायक आयुक्त (कर–निर्धारण)	सम्बन्धित सहायक आयुक्त (कर–निर्धारण)	सम्बन्धित राज्य कर अधिकारी	सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर
14	समस्त सहायक आयुक्त (सचलदल), राज्य कर	सम्बन्धित सहायक आयुक्त (प्रभारी)	सम्बन्धित राज्य कर अधिकारी	सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन)

2– उक्त तालिका के स्तम्भ–3 व 4 में अंकित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों (संबंधित उपायुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी) की संख्या एक से अधिक होने की दशा में संबंधित लोक प्राधिकारी इकाई के स्तर से लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को नामित किया जायेगा।

3– प्रतिबन्ध यह है कि लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के रूप में नामित किसी अधिकारी के अवकाश पर रहने या पद रिक्त होने की स्थिति में उनके समकक्ष अधिकारी/पद का प्रभार निवर्हन करने वाले अधिकारी को अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी माना जायेगा।

4– उपर्युक्त नामित किये गये लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निवर्हन के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार होगें एव इस कार्य हेतु उन्हें अतिरिक्त वेतन, भत्ते आदि देय नहीं होगें।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या–277/2021/05(160)/XXVII(8)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
4. आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. उक्त नामित प्राधिकारी–द्वारा आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. उप निदेशक, लिथो प्रेस, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की 200 प्रतियां प्रकाशित कराते हुए वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

Scanned by CamScanner